संख्या 6230 /18(1)/2006

प्रेषक,

पी0एस0 जंगपांगी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी/ टिहरी गढ़वाल/ चमोली/ नैनीताल
अल्मोड़ा/ पिथौरागढ़/उत्तरकाशी।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः17 जनवरी, 2007

विषयः– पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये डिजाइन के आधार पर निर्मित की जाने वाली पटवारी चौकियों की लागत प्रति पटवारी चौकी रू0 5.80 लाख के हिसाब से जनपद पौड़ी की 5 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु रू0 29,00,000–00, जनपद टिहरी की 6 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु रू0 34,80,000–00, जनपद चमोली की 5 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु रू0 29,00,000–00, जनपद नैनीताल की 5 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु रू0 29,00,000–00, जनपद अल्मोड़ा की 5 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु रू0 29,00,000–00, जनपद पिथौरागढ़ की 3 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु रू0 17,40,000–00, जनपद उत्तरकाशी की 3 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु रू0 17,40,000–00 अर्थात् कुल 32 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु 1,85,60,000–00 (रू0 एक करोड पिचयासी लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पटवारी चौकियों का निर्माण सी0बी0आर0आई0 रूड़की द्वारा तैयार मानचित्र के आधार पर कराया जायेगा और इनमें भूकम्प प्रतिरोधी तकनीकी का समावेश किया जायेगा।

3– पटवारी चौकियों हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा धनराशि का हस्तान्तरण निर्माण एजेन्सी को किया जायेगा।

4– उक्त कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें और कार्य की समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी से अनुबन्ध कर उस पर पैनाल्टी क्लाज भी लगाया जायेगा।

5– जिलाधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह समय–समय पर उक्त निर्माण कार्यो का निरीक्षण स्वयं अपने स्तर से करेंगे और निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से यथासमय शासन को अवगत करायेगें।

....(2)

6– निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जिलाधिकारी संतुष्ट होने पर शीध्रता शीध्र निर्मित चौकियों को सम्बन्धित पटवारियों को हस्तगत करा देगें और उन पर पटवारियों की उपस्थिति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराई जायेगी। समय– समय पर इसका निरीक्षण भी किया जाता रहेगा।

7– उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि उसी कार्य पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। उक्त निर्माण कार्य में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पंस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स और समय–समय पर मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा निर्गत आदेशों व अन्य तद्विषयक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006– 07 के आय– व्ययक की अनुदान संख्या–6 लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पुजींगत परिव्यय–60–अन्य भवन–आयोजनागत–051–निर्माण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–पटवारी चौकियों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 11 /वित्त अनु0–5/2006 दिनांक 12–1–2007 में प्राप्त उनकी सहमति में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– कोषाधिकारी, पौड़ी/टिहरी/चमोली/नैनीताल/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/उत्तरकाशी।
3– अपर सचिव, वित्त बजट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।